



Neutral Citation No. - 2026:AHC:4846

इलाहाबाद उच्च न्यायालय आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 44934 वर्ष 2025 बाबू लाल
.....आवेदक बनाम उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : आनन्द पति तिवारी विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शा.अधि., नीरज कुमार
श्रीवास्तव

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई।
2. श्री आनन्द पति तिवारी, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक की ओर से, श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव, विद्वान अधिवक्ता, सूचक की ओर से, तथा सुश्री इफरा इस्लाम, विद्वान राज्य विधि अधिकारी, राज्य की ओर से की सुनवाई की गई एवं अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का परिशीलन किया गया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 953 वर्ष 2024, धाराएँ 103(1), 3(5) बी.एन.एस., थाना खुर्जा नगर, जिला बुलन्दशहर में जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक को वर्तमान प्रकरण में असत्य रूप से फँसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई सम्बन्ध नहीं है, यद्यपि उसे मृतक व्यक्ति पर गोली चलाने की भूमिका सौंपी गई है। आवेदक को सौंपा गया आपराधिक इतिहास स्पष्ट किया गया है। आवेदक दिनांक 13.10.2024 से जेल में निरुद्ध है तथा वह विचारण में सहयोग करने को तत्पर है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
5. इसके विपरीत, विद्वान सूचक के अधिवक्ता और विद्वान राज्य विधि अधिकारी ने जमानत आवेदन का इस आधार पर कड़ा विरोध किया कि आवेदक प्राथमिक अभियुक्त व्यक्ति है, अतः वह जमानत का अधिकारी नहीं है।
6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की सुनवाई के पश्चात तथा यह ध्यान में रखते हुए कि आवेदक ने मृतक व्यक्ति की हत्या की है और वह प्राथमिकी में एकमात्र नामित अभियुक्त है, जो शीघ्रता से दर्ज की गई, मुझे यह प्रकरण आवेदक को जमानत प्रदान किये जाने योग्य नहीं लगता।
7. जमानत आवेदन गुण-दोषहीन पाया जाता है और तदनुसार निरस्त किया जाता है।
8. तथापि, यह निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त प्रकरण का निराकरण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) SCC 220 और हुसैन एवं अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 SCC 702 के हाल के निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार शीघ्रता से किया जाये, यदि कोई विधिक बाधा न हो।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ जमानत आवेदन के निस्तारण के सम्बन्ध में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं तथा उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान प्रकरण के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल) जनवरी 8, 2026 विकास वर्मा

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"